बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग

5, हार्डिंग रोड, पटना–800001

(वेबसाईट https://bpssc.bihar.gov.in)

संदर्भः विज्ञापन संख्या–03/2025

परिवहन विभाग, बिहार सरकार में प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परिणाम।

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा परिवहन विभाग, बिहार सरकार में प्रवर्तन अवर निरीक्षक पद की 33 (तैंतीस) रिक्ति के विरूद्ध सीधी भर्ती हेतु दिनांक–28.05.2025 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या–03/2025 के क्रम में प्रारंभिक लिखित परीक्षा दिनांक–07.09.2025 (रविवार) को तथा मुख्य लिखित परीक्षा दिनांक–14.12.2025 (रविवार) को आयोजित की गयी थी।

(2) मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों का शारीरिक जाँच परीक्षा एवं अभिलेख सत्यापन दिनांक–09.02.2026 को बिहार भेटनरी कॉलेज, पटना के परिसर में आयोजित किया गया। शारीरिक जाँच परीक्षा के लिए पात्र कुल–198 अभ्यर्थियों में से 193 अभ्यर्थी उपस्थित हुए तथा 05 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

(3) शारीरिक जाँच परीक्षा के दौरान विभिन्न चरणों में निम्नलिखित कारणों से अयोग्य अभ्यर्थियों का विवरण निम्नवत हैः

क्र0सं0	**अयोग्य होने का कारण**	**अभ्यर्थियों की संख्या**
1	शारीरिक जाँच परीक्षा में अनुपस्थित	05
2	शारीरिक जाँच परीक्षा में असफल	02
योग		**07**

(4) शारीरिक जाँच परीक्षा में अर्हक योग्यता प्राप्त 191 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया। साक्षात्कार का आयोजन दिनांक–24.02.2026 से 27.02.2026 तक पटना में किया गया। साक्षात्कार में कुल–05 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे एवं 186 अभ्यर्थी उपस्थित रहे।

(5) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का पत्रांक–23/नियुक्ति–01–39/2025, सा0प्र0–2253 दिनांक–06.02.2025 द्वारा प्राप्त अधियाचना के अनुसार प्रवर्तन अवर निरीक्षक की 33 (तैंतीस) रिक्तियों का विवरण निम्नवत् हैः

क्र0सं0	कोटि	कोटिवार कुल रिक्ति की संख्या	इनमें महिलाओं के लिए 35% आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या
1.	अनारक्षित (01)	19	07
	अनुसूचित जाति (02)	00	00
	अनुसूचित जनजाति (03)	00	00
	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (04)	02	00
	पिछड़ा वर्ग (05)	09	03
	पिछड़े वर्ग की महिला (06)	00	00
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए (07)	03	01
	कुल	33	11
2.	स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए 2% आरक्षण के तहत पदों की कुल संख्याः–		कोई पद अनुमान्य नहीं।
3.	विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 4% कुल पदों की संख्याः–		कोई पद अनुमान्य नहीं।

(6) (i) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का पत्रांक–23/नियुक्ति–01–39/2025, सा0प्र0–2253 दिनांक–06.02.2025 (ii) परिवहन विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक–07/स्था0 –7033/90, परि0–437 दिनांक–16.01.2025 द्वारा प्राप्त अधियाचना तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के आलोक में मुख्य लिखित परीक्षा, शारीरिक जाँच परीक्षा, साक्षात्कार, शैक्षणिक योग्यता, आयु तथा आरक्षण आदि अर्हता के आधार पर पात्र 186 अभ्यर्थियों पर अंतिम रूप से चयन हेतु विचार किया गया।

(7) प्रवर्तन अवर निरीक्षक के 33 पदों पर नियुक्ति हेतु अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का मुख्य लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर आरक्षण कोटिवार मेधाक्रमानुसार चयन किया जा रहा है तथा उनकी नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्रेषित की जा रही है।

(8) प्रवर्तन अवर निरीक्षक पद की 33 (तैंतीस) रिक्तियों के विरूद्ध अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का विवरण निम्नवत् हैः

श्रेणी/कोटि	अनारक्षित (सामान्य)			आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			अत्यंत पिछड़ा वर्ग			पिछड़ा वर्ग		
	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
मूल रिक्ति 33	12	07	19	02	01	03	02	00	02	06	03	09
चयनित	12	07	19	02	01	03	02	00	02	06	03	09
शेष रिक्ति	← शून्य →											
कुल चयनित–33												

➢ प्रवर्तन अवर निरीक्षक पद की 33 (तैंतीस) रिक्तियों के विरूद्ध 22 पुरूष एवं 11 महिला अभ्यर्थी चयनित हुए हैं।

➢ प्रवर्तन अवर निरीक्षक पद की सभी कोटि की सभी रिक्तियाँ भरी गयी।

(09) विभिन्न आरक्षण कोटियों का Cut-off Marks निम्नवत हैः

क्र0 सं0	श्रेणी/कोटि	पुरूष	महिला (35% आरक्षण के अधीन)
1	अनारक्षित (सामान्य)	201.2 (06/07/1992)	192.4 (08/10/2002)
2	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	199.8 (05/01/2002)	190.2 (20/10/2001)
3	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	199.2 (10/01/1997)	–
4	पिछड़ा वर्ग	199.2 (05/07/1996)	190.4 (15/05/2000)

(10) परिवहन विभाग में प्रवर्तन अवर निरीक्षक पद की रिक्तियों के विरूद्ध चयनित एवं नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक निम्नवत् हैः

कृपया इसे मेधा सूची न समझें।

1511010006, 1511010031, 1511010042, 1511010106, 1511010119, 1511010120, 1511010125, 1511010151, 1511010153, 1511010169, 1511010175, 1511010197, 1511010210, 1511010220, 1511010228, 1511010249, 1511010251, 1511010262, 1511010272, 1511010309, 1511010310, 1511010313, 1511010342, 1511010377, 1511010391, 1511010397, 1511010405, 1511010425, 1511010461, 1511010474, 1511010535, 1511010596, 1511010611

(11) <u>**अभ्यर्थियों की अर्हता, शिक्षा तथा चरित्र सत्यापन एवं पहचानः**</u>**–** नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति प्राधिकार द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण एवं अर्हता संबंधी अन्य अभिलेखों के साथ–साथ चरित्र सत्यापन नियमानुसार कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर एवं/अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किए जाएँगे। किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित होने अथवा न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध घोषित किए जाने पर उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

(12) <u>**चिकित्सीय परीक्षण**</u>ः– नियुक्ति के पूर्व नियमानुसार चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कराया जाएगा। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा। चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य पाए गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी।

(13) अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा संबंधित नियुक्ति प्राधिकार राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को प्रेषित की जा रही है।

(14) **योगदानः–** (a) योगदान के संबंध में अग्रेतर निर्देश नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा निर्गत किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को विनिर्दिष्ट अभिलेखों के साथ संबंधित नियुक्ति प्राधिकार के समक्ष व्यक्तिगत रूप से योगदान करना होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। प्रवर्तन अवर निरीक्षक के लिए नियुक्ति प्राधिकार राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना हैं। नियुक्ति प्राधिकार योगदान करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में आयोग को परिणामी प्रतिवेदन समर्पित करने का कष्ट करेंगे।

(b) चयनित अभ्यर्थी सुसंगत मूल प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों यथा– (i) वैध फोटोयुक्त पहचान–पत्र जैसे– मतदाता पहचान–पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि, (ii) स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र, (iii) जन्म तिथि का प्रमाण–पत्र (मैट्रिक सर्टिफिकेट की मूल प्रति), (iv) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए)। महिला अभ्यर्थियों (विवाहित/अविवाहित) का जाति प्रमाण–पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा, (v) क्रीमीलेयर में नहीं आने संबंधी प्रमाण–पत्र (पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)। क्रीमीलेयर रहित (NCL) प्रमाण–पत्र, महिला अभ्यर्थियों (विवाहित/अविवाहित) का क्रीमीलेयर प्रमाण–पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा, (vi) बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने संबंधी प्रमाण–पत्र (सभी आरक्षित कोटियों के अभ्यर्थियों के लिए), (vii) बिहार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सदस्य (यदि लागू हो तो) होने संबंधी वित्तीय वर्ष 2024–25 की आय के आधार पर निर्गत प्रमाण–पत्र, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक–

26 फरवरी, 2019 (गजट संख्या– 284) के द्वारा विहित प्रपत्र में (viii) बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने संबंधी प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो तो) एवं (ix) भूतपूर्व सैनिक पी0पी0ओ0 एवं डिस्चार्ज बुक (यदि लागू हो तो) आदि संबंधित विभाग में व्यक्तिगत रूप से योगदान के समय प्रस्तुत करेंगे।

(15) प्रेस में मुद्रण एवं टाईपोग्राफिकल अशुद्धियों के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।

(16) दलालों से सावधान रहें एवं ऐसे संदिग्धों के सम्बन्ध में पुलिस को सूचित करें।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी,
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,
पटना।

पत्र संख्याः–बि.पु.अ.से.आ./परीक्षा/01–03/2025–**278** दिनांक–10.03.2026

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का कार्यालय,
5, हार्डिंग रोड, पटना – 800001

प्रतिलिपिः–

1. **अपर मुख्य सचिव,** सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।
2. **सचिव,** परिवहन विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।
3. **राज्य परिवहन आयुक्त ,** परिवहन विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी,
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,
पटना।